कार्यालय
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, चतरा ।
(आपूर्त्ति शाखा)

निविदा संख्या–04 / 2017

अति अल्पकालीन निविदा

दिनांक 27.03.2017 को वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 (दो वर्षो) के लिए चतरा जिला अर्न्तगत सिमरिया प्रखण्ड / गोदाम के लिए FPS डोर स्टेप डीलेवरी परिवहन अभिकर्ता हेतु डाले गये एकल निविदा कर्ता द्वारा निविदा में वर्णित निजि वाहनो की संख्या कम रहने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता के द्वारा दिनांक 18.04.2017 को 1.00 बजे अपराहन तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा के कार्यालय कक्ष में निविदा प्रपत्र जमा की जायेगी तथा उसी दिन निविदादाताओं के समक्ष गठित निविदा कमिटि द्वारा निविदा खोला जायेगा। निविदा निम्नलिखित प्रखण्ड / गोदाम के लिए आमंत्रित की जाती है। जिसमें निजि एवं प्राधिकृत वाहनों की संख्या निम्नवत है:–

क्रमांक	प्रखण्ड / गोदाम का नाम	निजि वाहनों की संख्या	प्राधिकृत वाहनों की संख्या	अग्रधन की राशि
1	सिमरिया	6	2	50000

निविदा से संबंधित फॉर्म, शुल्क एवं निविदा की शर्ते इस जिला के Website- www.chatra.nic.in एवं कार्यालय के सूचना पट पर देखा जा सकता है।

1. जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उपावंटित खाद्यान्न, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम के प्रखण्ड स्तरीय गोदाम से उठाव कर संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकान तक आपूर्ति करना होगा। इस हेतु सरकार के सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या–491 / रांची दिनांक 11.02.2016 के आदेशानुसार न्यूनतम 32 रूपये प्रति क्विंटल तथा अधिकतम 40 रूपये प्रति क्विंटल डोर स्टेप डीलेवरी के लिए निर्धारित है।
2. निविदादाता अपना नाम पिता / पति का नाम, वर्तमान पता, चरित्र प्रमाण पत्र आदि का उल्लेख अपने आवेदन पत्र में करेगें।
3. निविदादाता जन वितरण प्रणाली विक्रेता / किरासन तेल ठेला भेंडर / किरासन तेल खुदरा विक्रेता आदि का अनुज्ञप्तिधारी नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
4. परिवहन व्यय का भुगतान राज्य सरकार से वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में आवंटन उपलब्ध होने के पश्चात किया जायेगा।
5. निविदादाता को अपने गृह जिला के उपायुक्त से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र तथा आवासीय प्रमाण पत्र कम से कम अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का होना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 का ITR की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को स्वच्छ छवि का प्रमाण पत्र निविदा के साथ जमा करना होगा, वैसे निविदादाता जिन्हें किसी सरकारी विभाग या प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया हो या जिसे किसी न्यायालय के द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया हो उन्हे परिवहन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा। इस आशय का शपथपत्र निविदादाता द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदा के साथ कॉलम 5 में उल्लेखित अग्रधन की राशि के रूप में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा के पदनाम से जो चतरा में भुगतेय होगा, संलग्न करना आवश्यक है। निविदा समाप्ति के पश्चात् स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर अन्य को अग्रधन की राशि वापस कर दिया जायेगा।
9. निविदादाता को प्रत्येक माह जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर खाद्यान्न की शत् प्रतिशत मात्रा का परिवहन करना होगा । साथ ही उठाव का प्रति माह विपत्र समर्पित करना होगा, जिसमें उठाव संबंधी प्रमाण स्वरूप AGM / MO का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।
10. निविदा टर्न की आधार पर हो अर्थात परिवहन पारगमन क्षति, बीमा दर, सेवाकर अन्य कोई कर / शुल्क, अन्यान्य व्यय सहित का भार निविदादाता पर होगा। निविदादाता से परिवहन के दौरान खाद्यान्न क्षति की मात्रा को बाजार